

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम तखपुरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 से संवत् 2078 के खाता संख्या 258, 260 के मेरा नाम उदी पुत्री अरुलाल जाति नई साहेब दल है जबकि दस्तावेज में चन्दा बार्ड पुत्री अरुलाल पति श्री अकांति लाल के नाम पर है अतः राज्य रिकॉर्ड में उदी पुत्री चन्दा बार्ड जाति नई का नाम दर्ज अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। स्थान की छपा करी

दिनांक 21/02/2024
जिला तखपुरा

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

जि० उदी उर्फ चन्दा

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम तखपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076-2079 से संवत् 2078 के खाता संख्या 258 में प्रार्थी का नाम उदी पुत्री अरुलाल जाति नई दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम चन्दा बार्ड है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)
हमीरगढ़, जिला - भीलवाड़ा

पटवारी

राजेश कुमार
21/02/2024
भू.अ.नि. हमीरगढ़
तहसील-हमीरगढ़

प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम तखपुरा की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 258, 260 में प्रार्थी का नाम उदी पुत्री अरुलाल जाति नई के बजाय चन्दा बार्ड पुत्री अरुलाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम तखपुरा जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खाता संख्या 258, 260 में दर्ज प्रार्थी का नाम उदी पुत्री अरुलाल के स्थान पर चन्दा बार्ड संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा